भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 55B/2018-19

चित्तरंजन महतो **बनाम** संतरा देवी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

19.11.18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1455 दिनांक 26.07.18 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 55B / 2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता चित्तरंजन महतो पिता भोला महतो, सा0–दिंदली बस्ती, आदित्यपुर, थाना–आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता संतरा महतो, पति–श्री कुंजो महतो, ग्राम–कालापात्थर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
आसंगी	126	45	544	7.75डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 7.75डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.00 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 7.75डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।